भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3271
जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3271. श्री राधेश्याम बिश्वास:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूटर इंडिया लिमिटेड में अपने 95 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग को खत्म करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या स्कूटर इंडिया लिमिटेड देश में अग्रणी विनिर्माण यूनिट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने रणनीतिक भागीदारी को चिन्हित किया है तथा इस संबंध में शर्त और निबंधन तय किए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) स्कूटर इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): नीति आयोग ने कार्यनितिक विनिवेश के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) सहित कुछ सीपीएसईज की पहचान की है, जिन्हें सरकार के लिए "उच्च प्राथमिकता" के रूप में नहीं माना जाता है, जिनमें निजी क्षेत्र ताजा निवेश, तकनीकी उन्नयन और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं। नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया और विनिवेश संबंधी सचिवों के मुख्य समूह (सीजीडी) द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया। इसके बाद, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दो चरणों वाली बोली प्रक्रिया के माध्यम से पहचान किए जाने वाले कार्यनितिक क्रेता को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में 93.74 प्रतिशत की भारत सरकार की संपूर्ण अंशधारिता के विनिवेश हेतु दिनांक 27.10.2016 को आयोजित बैठक में "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया।

(ग): जी नहीं। देश में इसी खंड में अन्य बड़ी कंपनियां हैं। एसआईएएम के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में तिपहिया खंड में एसआईएल का घरेलू बाजार अंशदान 0.44 प्रतिशत है।

(घ): जी नहीं। निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ): उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर, लागू नहीं।

(च): स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को वर्ष 2010 में रुग्ण घोषित किया गया था और यह बीआईएफआर के कार्यक्षेत्र में आ गई। दिनांक 31.01.2013 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के पुरुद्धार हेतु प्रस्ताव के अनुसार एसआईएल को निम्नलिखित सहायता की परिकल्पना की गई है/उपलब्ध कराई गई है:

i. पूंजीगत व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में ₹70.38 करोड़ की निधि का निवेश
ii. कार्यशील पूंजी के लिए भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त योजना ऋण के रूप में ₹20 करोड़।
iii. दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹85.21 करोड़ के योजना और गैर-योजना ऋण को इक्विटी में बदलना।
iv. दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार जमा ब्याज और ₹26.37 करोड़ की देयता का अधित्याग।

सीसीईए ने दिनांक 23.05.2018 को एसआईएल को निम्नानुसार सहायता भी अनुमोदित कीः

i. संचयी हानि (दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार प्रभावी) के एवज में भारत सरकार द्वारा धारित एसआईएल की शेयर पूंजी में ₹85.21 करोड़ की इक्विटी की कटौती;
ii. कंपनी को इसकी रिलीज की तिथि से वर्ष 2012-13 के दौरान एसआईएल को जारी ₹1.89 करोड़ के गैर-योजना ऋण पर ब्याज को बंद करना; और
iii. ₹1.89 करोड़ की बकाया मूल राशि को इक्विटी में बदलना।

******